सूचना के अधिकार, उद्देश्य एवं उपयोगिता

*श्रीमती शारदा दुबे
** डॉ. श्रीमती दुर्गा बाजपेयी

शोधपत्र-समाजशास्त्र

देश के हर नागरिक को देश की हर जरूरी सूचना मिले लोकतंत्र की यह मूल भावना है। दस्तावेजों के ढेर में यह अधिकार कहीं दब गया था। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया। 1995 में देश की प्रथम सूचना अधिकार कार्यशाला अविभाजित बिलासपुर जिले के करतला में हुई। तत्कालीन कमिश्नर हर्षमंदर सहित देश व प्रदेश के एक्टिविस्ट बड़ी संख्या में शामिल हुए। उस कार्यशाला में लोग किस तरह सूचनायें प्राप्त कर सकते है बताया गया मांगने पर लोगों को तुरंत सूचनायें भी दी गई फलस्वरूप भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए। करतला के इस कार्यक्रम की गूंज पूरे देश में हुई। सारे देश का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। दस वर्षों से यह आंदोलन अनवरत रूप से चलता रहा और यह सूचना के अधिकार के रूप में हर नागरिक को प्राप्त है।

भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है और लोकतंत्र शिक्षित नागरिकता तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कियाकलाप तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी सरकारों और उनके उपकरणों की शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिये अनिवार्य है। सूचना का अधिकार साम्या के अदालतों में विकसित हुआ है। किसी न्यायायिक कार्यवाही में किसी दूसरे पक्ष को अपने प्रकरण से संबंधित तथ्यों की जानकारी दी जाना प्रारंभ से ही आवश्यक माना गया। अनेक प्रकरणों में तो वाद प्रस्तुत करने के पूर्व विरोधी पक्षकार को सूचना पत्र देना भी आवश्यक हुआ करता है। इस अधिकार की नीव विशेषतः प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में रखी गयी। प्रजातंत्र में जहां प्रत्येक नागरिक को राज्य के प्रत्येक कियाकलाप एवं नीतिगत विषयों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त होता है।

मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 जिसे कि मानवाधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। के अनुच्छेद 19 में यह कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिमत एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में हस्तक्षेप रहित अभिमत रखने तथा मीडिया या राष्ट्रीय सीमाओं से परे सूचना एवं विचारों की मांग करने प्राप्त करने आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। उक्त अनुच्छेद के वाचन से स्पष्ट है, कि सूचना के अधिकार को मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में भी स्थान दिया गया था।

सार्वभौमिक घोषणा पत्र में भी स्थान दिया गया था।

1966 के सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय कन्वेन्शन पुनः सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 में इस प्रकार सम्मिलित किया गया था, कि प्रत्येक व्यक्ति की हस्तक्षेप रहित अभिमत रखने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में सभी प्रकार की सूचना एवं विचारों की मांग करने, प्राप्त करने, आदान–प्रदान करने की सूचना सम्मिलित है, चाहे मौखिक या लिखित या मुद्रित या कला के किसी भी प्रारूप में या उसके विकल्प के किसी मीडिया के माध्यम से हो।

सूचना के अधिकार को ब्रम्हास्त्र की संज्ञा देना कोई अतिश्योक्ति नही होगी। यह अधिकार इस दृष्टि से विलक्षण है, कि इसके तहत चंद प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर प्रायः सभी क्षेत्रों से संबंधित आवश्यक सूचनायें प्राप्त करने का जनता को अधिकार है। इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत हथियार और स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन के लिये संजीवनी के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। बशर्ते आम जनता अपने इस *अधिकार* का संही ढंग से उपयोग करे। इस अधिकार के उपयोग के अत्यंत सार्थक और साकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। यह एक ऐसा कानून है जो सरकारी अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। आवेदन पत्र के साथ 10 रूपये का निर्धारित शुल्क जमा करके कोई भी व्यक्ति वांछित सूचनायें प्राप्त कर सकता है।अधिकार से तात्पर्य समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई सुविधायें हैं। जो व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक है। प्रारंभिक समय से ही यह विचार मान्य था, कि मनुष्य अपने जन्म के साथ कुछ अधिकार लेकर आता है। इसी अधिकार को ''प्राकृतिक अधिकार'' का नाम दिया गया।

* विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र शा. माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर
** विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र शा. पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, बिलासपुर

जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति इसी श्रेणी में रखा गया था। सभ्यता के विकास के साथ–साथ मनुष्य के जीवन की रक्षा, संपत्ति की रक्षा के साथ–साथ लगभग सभी प्रकार के कार्य समाज, राज्य ने ले लिये और फिर अधिकारों कर्तव्यों आदि के संबंध में अनेक विवाद एवं मतभेद उत्पन्न हुऐ। जबकि अधिकार की अवधारणा किसी भी देश तथा राज्य के लिये महत्वपूर्ण विषय–वस्तु है। सूचना का अधिकार कानून हर नागरिक को सरकार द्वारा बनाये गये किसी भी काम के निरीक्षण करने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेत 19(क) में नागरिकों को अभिव्यक्ति स्वातंत्र तथा वाक स्वातंत्र का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया। सदन व मंत्रियों के कार्य अधिकार और कर्तव्य को मौलिक अधिकारों के बाद रखा गया है। जो यह सिद्ध करता है, कि नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार सर्वोपरि है। इसी प्रकार अनुच्छेद 39(क) नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देता है। सम्मानपूर्वक जीने का अर्थ है, नागरिकों को सूचना सम्पन्न होना। सूचना प्राप्ति का अधिकार अपने आप में पारदर्शी एवं सक्षम शासन व्यवस्था को चलाने के लिये आवश्यक एवं सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का ही अंग है तथा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहितार्थ है। कोई भी नागरिक किसी भी लोक निकाय से अपने काम की सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त सभी अतिरिक्त लोक निकायों को अपने दैनिक कार्यकलापों के संबंध मे आवश्यक सूचनाओं की सूचना पट पर लोगों की जानकारी के लिये पदर्शित करना भी आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार नें भी विभागों में सूचना के अधिकार के संबंध में शासकीय आदेश जारी किये हैं। उत्तरप्रदेश में भी कुछ विभागों में इस संबंध में शासकीय आदेश जारी किये गये हैं।

सूचना का अधिकार प्राप्त होने से नागरिक न केवल शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि पारदर्शिता खुलापन और जवाबदेही लाकर सुशासन की परिकल्पना को भी साकार कर सकते हैं। शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने शासकीय योजनाओं को सही समय पर वास्तविक लाभार्थी तक पंहुचाने के लिये तथा शासकीय प्रक्रियाओं के अनावश्यक बोझ से बचने में सूचना का अधिकार एक कारगर अस्त्र है। लोकतंत्र में शासन जनता का, जनता के लिये जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। 73 और 74 वें संशोधन के बाद हमारा संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। जिसमें यह आशा की गई है, कि व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिये नीति निर्धारण नियम व कानून बनाने योजना बनाने व उसके कियान्वयन तथा शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण में नागरिकों का सहयोग व भागीदारी आवश्यक रूप से होना चांहिये। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से व्यवस्था के सुचारू कियान्वयन के लिये अपने प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। शासन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों का यह कर्तव्य है, कि वह देखे कि उनके द्वारा चुने गये जन प्रतिनिधि शासन का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं अथवा नहीं परंतु पिछले काफी समय से नागरिकों की सहभागिता केवल मताधिकार के प्रयोग तक ही सीमित होकर रह गयी है। सूचना के अभाव में लोग यह नही जान पाते सरकार व उसकी सहयोगी संस्थायें क्या कर रही हैं। सरकारी योजनाओं की प्रकिया क्या है? उनमे कैसे भागीदारी की जा सकती है।

संविधान की मान्यता हेतु जनता के चुने हुये प्रतिनिधि जनता की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप संविंधान सम्मत शासन व्यवस्था का संचान करेंगे। व्यवस्था संचालन में सरकार का यह कर्तव्य है, कि वह नीतियों का निर्धारण इस प्रकार करे, कि व्यक्तियो को उसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार शासन को ग्राम स्तर से लेकर केन्द्र स्तर तक जवाबदेह होना होता है। सूचना का अधिकार यह सुनिश्चित करता है, कि लोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को हर बात के लिये

जिम्मेदार ठहराने के बजाय निरंतर सार्वजनिक संस्थाओं से जवाबहदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। लोकतंत्र में ऐसी मान्यता है, कि सरकार जो भी कार्य करती है वह जनकल्याण के उद्देश्य से और सार्वजनिक धन के माध्यम से इमानदारी के साथ अधिकतम लाभ पाने के लिये किया जाता है। परंतु वर्तमान समय में सार्वजनिक धन का दुरूपयोग गबन और लापरवाही के चलते यह धारणा बहुत हद तक झूठी पड़ गयी है। इस पर रोक लगाने के लिये आवश्यक है, कि सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता बरती जाये। सरकार के काम में पारदर्शिता होने से नागरिक सार्वजनिक समय व धन के दुरूपयोग के लिये जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह भी ठहरा सकेंगे। पारदर्शिता से भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश करने में मदद मिलेगी। और इमानदार लोग निर्भय और निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकेंगे। लेकिन यह अधिनियम तभी सफल हो सकता है, जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का व्यापक प्रचार प्रसाद हो जिससे प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाये तथा प्रशासन में पारदर्शिता लायी जाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ

01. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 02 हम सबका अधिकार – सूचना का अधिकार, वसुधा महिला मंच, बिलासपुर द्वारा प्रकाशित 03. सूचना का अधिकार औरा महिला सशक्तीकरण – छबि श्रीवास्तव – योजना 2006 04. Researeh Digesl Octo- Dec. 2008 - A Harional Researeh Journel 05. न्याय मित्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला जाँजगीर–चाम्पा (छ.ग.) द्वार प्रकाशित।